न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 20/2020(2020/00302)

अनवान : –

1. राजेन्द्र पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।
2. आईसीआईसीआई बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा सरदारगढ़िया त0 भादरा।
3. ओबीसी बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता
अन्तर्गत धारा 8(2) राज0 जनरल को0 कन्डीशन
एक्ट सपठित धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :– श्री पवन सिहाग प्रार्थी
श्री रोहताश शर्मा अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 08/01/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 एमएसआर के वर्तमान खाता सं 80/10 के मु0न0 18 के किला न0 1/1 की 0.108 है0, किला न0 3 की 0.253 है0, किला न0 9 की 0.253 है0, किला न0 10/1 की 0.107 है0 इस प्रकार कुल किता 4 की कुल 0.7210 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी राजेन्द्र के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

अप्रार्थी रामचन्द्र के नाम चक 4 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 84/10 के मुरब्बा न0 9 के किला न0 11 की 0.051 है0, किला न0 20 की 0.228 है0, किला न0 21 की 0.253 है0, मु0 न0 18 के किला न0 1/2 की 0.145 है0, किला न0 10/2 की 0. 146 है0 इस प्रकार कुल किता 5 की कुल 0.823 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थी राजेन्द्र अपनी कृषि भूमि में अप्रार्थी रामचन्द्र के मु0 नं0 9 के किला नं0 11, 20, 21 में से पूर्वी तरफ किला लाईन के पास उतर से दक्षिण आवागमन करता आ रहा है। इसके अलावा प्रार्थी का अपने खातेदारी में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता स्वीकृत अथवा चालू नही है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ने राजीनामा पेश किया। बाद तसदीक राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:11:34 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य राजीनामा पेश हो चुका है। राजीनामा की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

भावना से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है, जो सदामत से चला आ रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी ने जाहिर किया कि रास्ता के रूप में उपयोग ली जा रही भूमि संयुक्त रूप से है तथा वाहमी राजीनामा अनुसार रास्ता स्वीकृत करने की सहमति दी है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थी की खातेदारी चक 4 एमएसआर के मुरब्बा नम्बर 09 के किला नम्बर 11, 20, 21 में किला के पूर्वी तरफ पत्थर लाईन के पास पास उत्तर से दक्षिणयेक किला में से 0.013 हैक्टेयर रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु निवेदन किया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए सपठित धारा 8(2) कॉलोनाईजेशन एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा चक 4 एमएसआर के मुरब्बा नम्बर 09 के किला नम्बर 11, 20, 21 में किला के पूर्वी तरफ पत्थर लाईन के पास पास उत्तर से दक्षिण प्रत्येक किला में से 0.013 हैक्टेयर रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। तहसीलदार भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) जिला-हनुमानगढ़

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:11:34 IST
Reason: SelfAttested